राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–1) विभाग

क्रमांकः–प.11(3)कार्मिक/क–1/वाद/2017 जयपुर, दिनांकः 1 AUG 2017

# परिपत्र

न्यायालयों, न्यायिक/अर्द्धन्यायिक संस्थाओं, आयोगों आदि जिन्हे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षियों को बुलाने की शक्तियां प्राप्त है, के द्वारा विभिन्न लोक सेवकों को उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है। यह ध्यान में लाया गया है कि लोक सेवकों द्वारा समय पर साक्ष्य हेतु उपस्थिति नहीं दी जाती है। इस कारण से विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता है।

अतः समस्त लोक सेवकों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालयों, न्यायिक/अर्द्धन्यायिक संस्थाओं, आयोगों जिन्हे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षियों को बुलाने की शक्तियां प्राप्त है, के द्वारा साक्ष्य हेतु बुलाये जाने पर यथाशीघ्र उनके समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव
दू.नं. 0141–2227657

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (समस्त), राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव (समस्त), राजस्थान।
4. शासन सचिव, (समस्त), राजस्थान।
5. विभागाध्यक्ष (समस्त), राजस्थान।

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव
दू.नं. 0141–2227347